रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद (भारत सरकार, रेल मंत्रालय)

महाप्रबन्धक कार्यालय (उत्तर मध्य रेलवे) के विपरीत, सूबेदारगंज रेलवे अस्पताल के बगल में, सूबेदारगंज, इलाहाबाद-211033
फोन : (0532) 2222541, 2222543, 2430472, फैक्स : (0532) 2430471, वेबसाइटः Website: www.rrbald.gov.in

प्रकाशन की तिथि : 07.02.09 से 13.02.09
अन्तिम तिथि व समय : 09.03.2009 को 17.30 बजे तक

रोजगार सूचना संख्या : 1/2009

पात्र भारतीय नागरिकों से अधोलिखित पदों के लिए संलग्न विहित प्रारूप में (ए-4 साइज (80 जी.एस.एम.) के बढ़िया पेपर पर केवल एक तरफ लिखे हुए) आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। सर्वथा पूर्ण आवेदन पत्र आवश्यक संलग्नों के साथ **''सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद''** के पास डाक से भेजे जाने चाहिए जिससे कि वे दिनांक **09.03.2009**, (17.30 बजे) तक या उससे पहले पहुँच जायें। आवेदन पत्र सीधे रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद के कार्यालय परिसर में रखे बाक्स में भी अन्तिम तिथि तक डाले जा सकते हैं। आसाम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर तथा हिमांचल प्रदेश के लाहौल एवं स्फीति जिले और चम्बा जिले के पांगी सब डिवीज़न अण्डमान निकोबार एवं लक्ष्यद्वीप और विदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि **24.03.2009** है।

कोटि सं.	पदनाम	वेतनमान (रु.में) सं.वे.-सं.वे.	रेलवे	रिक्तियों की संख्या							चिकित्सीय परीक्षा मानक	दिनांक 01.07.09 को सामान्य आयु	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्तता	परीक्षा शुल्क (रु.में)	परीक्षा चरण
				अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व	योग	भू.पू.सै.	अपंग				ओएच/वीएच/एचएच		
कोटि 1 एवं 2 हेतु एक ही आवेदन करें, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पसंदीदा कोटियों का क्रम निर्धारित करें																
1.	खण्ड अभि.-कार्य	6500-10500	उ.रे.	8	1	2	4	15		लागू नहीं	ए-3	20-35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल इन्जीनियरिंग में डिग्री	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
2.	खण्ड अभि.-पी.वे	6500-10500	उ.रे.	13	4	2	5	24	2*	लागू नहीं	ए-3	20-35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से सिविल इन्जीनियरिंग में डिग्री	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
कोटि 3 से 7 हेतु अलग-अलग आवेदन करें																
3.	खण्ड अभि.-सिग्नल	6500-10500	उ.रे.				1	1		लागू नहीं	ए-3	20-35	(1) इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोप्रोसेसर/टीवी इंजीनियरिंग/फाइबर आप्टिकल कम्युनिकेशन/ टेली कम्युनिकेशन/ कम्युनिकेशन/साउण्ड एवं टीवी इंजीनियरिंग/इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल/ इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंटेशन/इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/अप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स/डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स/पावर इलेक्ट्रानिक्स/इन्फार्मेशन साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कप्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस/ कम्प्यूटर टेक्नालॉजी में चार वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री या (2) (इलेक्ट्रानिक्स/ भौतिकी/कम्प्यूटर साइंस) में एम.एससी.।	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
4.	खण्ड अभि.-यांत्रिक	6500-10500	उ.रे.	2				2		लागू नहीं	बी-1	20-35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैन्यूफैक्चरिंग/मेकाट्रानिक्स/ इण्डस्ट्रियल/मैकेनिकल/टूल्स एवं मशीनिंग/टूल्स एवं डाई मेकिंग/आटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मेटालर्जी/ फाउण्ड्री टेक्नोलाजी/ इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिग्री।	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
5.	खण्ड अभि.-डीज़ल/इलेक्ट्रिक	6500-10500	उ.रे.				1	1		लागू नहीं	बी-1	20-35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन्स/ इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम/ इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एवं वीडियो इन्जीनियरिंग/ इनस्ट्रूमेंटेशन एवं कन्ट्रोल/इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/ मैकेनिकल/ प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन टेक्नोलाजी/ इण्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग में डिग्री।	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
6.	वरिष्ठ रेलपथ -निरीक्षक	5000-8000	उ.रे.	13	12	3		28	3*	लागू नहीं	ए-3	18-33	सिविल इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग (ट्रान्सपोर्टेशन) में डिप्लोमा या बी.एससी. भौतिकी एवं गणित सहित या भौतिकी में बी.एससी. (आनर्स) गणित द्वितीय सहायक विषय के रूप में हो या बी.एससी. (आनर्स) गणित विषय में एवं भौतिकी द्वितीय सहायक विषय के रूप में हो।	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
7.	कनिष्ठ अभि.-II (पी.-वे)	5000-8000	उ.रे.	46	8	7	17	78	8*	लागू नहीं	ए-3	18-33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग/सिविल इंजीनियरिंग (ट्रान्सपोर्टेशन) में डिप्लोमा।	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
कोटि 8 एवं 9 हेतु एक ही आवेदन करें, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पसंदीदा कोटियों का क्रम निर्धारित करें																
8.	कनिष्ठ अभि.-II (डीज़ल/मैके.)	5000-8000	उ.रे.	1		1	1	3		लागू नहीं	बी-1	18-33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैन्यूफैक्चरिंग/मेकाट्रानिक्स/ इण्डस्ट्रियल/ मैकेनिकल/ टूल्स एवं मशीनिंग/ टूल्स एवं डिस्क मेकिंग/ आटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मेटालर्जी/ फाउण्ड्री टेक्नोलाजी/ इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
9.	कनिष्ठ अभि.-II यांत्रिक	5000-8000	उ.रे.	5	2		5	12		लागू नहीं	बी-1	18-33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से मैन्यूफैक्चरिंग/मेकाट्रानिक्स/ इण्डस्ट्रियल/मैकेनिकल/टूल्स एवं मशीनिंग/टूल्स एवं डिस्क मेकिंग/ आटोमोबाइल/प्रोडक्शन/मेटालर्जी/ फाउण्ड्री टेक्नोलाजी/ इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
कोटि 10 से 17 हेतु अलग-अलग आवेदन करें																
10.	कनिष्ठ अभि.-II (डीज़ल/इलेक्ट्रिक)	5000-8000	उ.रे.	2	1	1	1	5		लागू नहीं	बी-1	18-33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन्स/ इलेक्ट्रानिक्स/ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम/ इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन/ इलेक्ट्रानिक्स एवं वीडियो इन्जीनियरिंग/ इनस्ट्रूमेंटेशन एवं कन्ट्रोल/इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/ मैकेनिकल/ प्रोडक्शन/ प्रोडक्शन टेक्नोलाजी/ इण्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग में डिप्लोमा।	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
11.	कनिष्ठ अभि.-II कार्य	5000-8000	उ.रे.	42	5	3	6	56	5*	2*	ए-3	18-33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग/ सिविल इंजीनियरिंग (कन्स्ट्रक्शन टेक्नालॉजी)/सिविल इंजीनियरिंग (पब्लिक हेल्थ)/सिविल इंजीनियरिंग (वाटर रिसोर्सेज)/सिविल इंजीनियरिंग (ट्रान्सपोर्टेशन) में डिप्लोमा।	बधिर विकलांगों के लिए उपयुक्त	60	1. लिखित/ ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
12.	कनिष्ठ अभि.-II (सिग्नल)	5000-8000	उ.रे.	3	1	2	3	9	1*	लागू नहीं	ए-3	18-33	इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोप्रोसेसर/टीवी इंजीनियरिंग/फाइबर आप्टिकल कम्युनिकेशन/ टेलीकम्युनिकेशन/कम्युनिकेशन/साउण्ड एवं टीवी इंजीनियरिंग/इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल/ इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेन्टेशन/ इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स/अप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स/डिजीटल इलेक्ट्रानिक्स/पावर इलेक्ट्रानिक्स/ इन्फार्मेशन साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नॉलाजी/कम्प्यूटर अप्लीकेशन/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/ कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर टेक्नॉलाजी में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा।	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
13.	स्वास्थ्य एवं मलेरिया निरीक्षक	5000-8000	उ.रे.	9	4	2	6	21	2*	लागू नहीं	सी-1	18-33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से रसायन विज्ञान में स्नातक, स्वास्थ्य / स्वच्छता निरीक्षक का एक वर्षीय डिप्लोमा अथवा भारत सरकार के श्रम तथा रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य/स्वच्छता निरीक्षक का एक वर्षीय राष्ट्रीय ट्रेड सर्टीफिकेट (एन.टी.सी.)	उपयुक्त नहीं है	60	1. लिखित/ ऑन लाइन परीक्षा 2. दस्तावेज सत्यापन
14.	सहायक स्टेशन मास्टर	4500-7000	उ.रे.	32	32	36	17	117	12*	लागू नहीं	ए-2	18-33	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विश्वविद्यालय की डिग्री या इसके समकक्ष	उपयुक्त नहीं है	60	1.लिखित 2.अभिरुचि जाँच 3.दस्तावेज सत्यापन
15.	एस.एम.-II	4000-6000	उ.रे.	17	5	3	9	34	3*	लागू नहीं	बी-1	18-30	भौतिकी में बी.एससी. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण या गणित एवं भौतिकी विषय सहित 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष एवं रेलवे के संकेत एवं दूरसंचार विभाग में कैजुअल एस.एम. के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।	उपयुक्त नहीं है	60	1.लिखित 2.दस्तावेज सत्यापन
16.	लैब असिस्टेन्ट-III	3050-4590	उ.रे./ डीएलडब्ल्यू	2				2		लागू नहीं	बी-1	18-30	मैट्रिक (विज्ञान के साथ)+मेडिकल लैब तकनीकी में डिप्लोमा/सर्टीफिकेट (डी.एम.एल.टी.) अथवा 10+2 विज्ञान के साथ। डी.एम.एल.टी. में नीचे दी गई शर्तें पूरी होती हों:- (1) कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा राजकीय तकनीकी बोर्ड राज्य सरकार/केन्द्र सरकार प्राधिकृत से किया गया हो। (2) कोर्स की अवधि कम से कम एक वर्ष की हो। (3) कोर्स के दौरान अभ्यर्थी ने पूर्ण कालिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। (4) कोर्स के अन्त में परीक्षा की निर्धारित प्रणाली हो, जिसे अभ्यर्थी द्वारा सफलता पूर्वक उत्तीर्ण किया गया हो।	उपयुक्त नहीं है	40	1.लिखित/ऑन लाइन परीक्षा 2.दस्तावेज सत्यापन
17.	सहायक लोको पायलट इलेक्ट्रिकल/ (डीज़ल/इलेक्ट्रिक)	3050-4590	उ.म.रे./ उ.रे.	588	120	60	163	931	92*	लागू नहीं	ए-1	18-30	हाईस्कूल उत्तीर्ण और निम्न में से किसी एक ट्रेड में आईटीआई/एक्ट प्रशिक्षु (1) फिटर (2) इलेक्ट्रीशियन (3) इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक (4) मिल राइट/मेन्टेनेन्स मैकेनिक (5) रेडियो एवं टी.वी. मैकेनिक (6) इलेक्ट्रानिक मैकेनिक (7) मैकेनिक (मोटर वाहन) (8) वायरमैन (9) ट्रैक्टर मैकेनिक (10) आर्मेचर एण्ड क्वाइल वाइन्डर (11) मैकेनिक (डीज़ल) (12) हीट इंजन, (13) टर्नर (14) मशीनिस्ट (15) रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कण्डीशन मैकेनिक अथवा यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स/आटो मोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा।	उपयुक्त नहीं है	40	1.लिखित 2.अभिरुचि जाँच 3.दस्तावेज सत्यापन
कोटि 18 एवं 19 हेतु एक ही आवेदन करें, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पसंदीदा कोटियों का क्रम निर्धारित करें																
18.	टेक्नी-III (डीज़ल/यांत्रिक)	3050-4590	उ.रे.	2	6	20	11	39	4*	लागू नहीं	बी-1	18-30	हाईस्कूल उत्तीर्ण+निम्न ट्रेड में आई.टी.आई./एक्ट प्रशिक्षु (1) इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक (2) मोटर मैकेनिक (3) ट्रैक्टर मैकेनिक (4) डीज़ल मैकेनिक (5) फिटर, एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त। डिप्लोमा एवं अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यताओं के लिए अनुमति नहीं है।	उपयुक्त नहीं है	40	1.लिखित 2.दस्तावेज सत्यापन
19.	टेक्नी-III (डीज़ल/इलेक्ट्रिक)	3050-4590	उ.रे.		2	11	1	14	1*	लागू नहीं	बी-1	18-30	हाईस्कूल उत्तीर्ण+निम्न ट्रेड में आई.टी.आई./एक्ट प्रशिक्षु (1) इन्स्ट्रूमेन्ट मैकेनिक (2) मोटर मैकेनिक (3) ट्रैक्टर मैकेनिक (4) डीज़ल मैकेनिक (5) फिटर, एनसीवीटी/एससीवीटी से मान्यता प्राप्त। डिप्लोमा एवं अन्य उच्च शैक्षणिक योग्यताओं के लिए अनुमति नहीं है।	उपयुक्त नहीं है	40	1. लिखित 2. दस्तावेज सत्यापन
कोटि 20 एवं 21 हेतु एक ही आवेदन करें, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पसंदीदा कोटियों का क्रम निर्धारित करें																
20.	एस.एम.-III	3050-4590	उ.रे.	51	15	8	26	100	10*	लागू नहीं	बी-1	18-30	(1) इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रिकल फिटर/वायरमैन/इलेक्ट्रानिक्स/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/टीवी एवं रेडियो/इन्स्ट्रूमेन्टेशन/कम्प्यूटर/कम्प्यूटर नेटवर्किंग/डाटानेटवर्किंग में आई.टी.आई./एक्ट प्रशिक्षु मैट्रिकुलेशन सहित या (2) 10+2 भौतिकी एवं गणित सहित या (3) इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोप्रोसेसर/ टीवी इंजीनियरिंग/फाइबर आप्टिकल कम्युनिकेशन/टेली कम्युनिकेशन/ कम्युनिकेशन/साउण्ड एवं टीवी इंजीनियरिंग/इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल/इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेन्टेशन/इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक/एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स/डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स/पावर इलेक्ट्रानिक्स/इन्फार्मेशन साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा।	उपयुक्त नहीं है	40	1.लिखित 2.दस्तावेज सत्यापन
21.	ई.एस.एम.-III	3050-4590	उ.रे.	29	8	4	15	56	6*	लागू नहीं	बी-1	18-30	(1) इलेक्ट्रीशियन/इलेक्ट्रिकल फिटर/वायरमैन/इलेक्ट्रानिक्स/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/टीवी एवं रेडियो/इन्स्ट्रूमेन्टेशन/कम्प्यूटर/कम्प्यूटर नेटवर्किंग/डाटानेटवर्किंग में आई.टी.आई./एक्ट प्रशिक्षु मैट्रिकुलेशन सहित या (2) 10+2 भौतिकी एवं गणित सहित या (3) इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स/माइक्रोप्रोसेसर/ टीवी इंजीनियरिंग/फाइबर आप्टिकल कम्युनिकेशन/टेली कम्युनिकेशन/ कम्युनिकेशन/साउण्ड एवं टीवी इंजीनियरिंग/इण्डस्ट्रियल कन्ट्रोल/इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेन्टेशन/इण्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक/एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स/डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स/पावर इलेक्ट्रानिक्स/इन्फार्मेशन साइंस/इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर टेक्नालॉजी में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा।	उपयुक्त नहीं है	40	1.लिखित 2.दस्तावेज सत्यापन

प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

ए.आई.सी.टी.ई. आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन

ए-1, ए-2, ए-3, बी-1, बी-2, सी-1 एवं सी-2 = भिन्न स्तर के चिकित्सा मानक जिसे अभ्यर्थियों को रेलवे में नियुक्ति से पहले उत्तीर्ण करने होंगे।

डी.डी.	डिमाण्ड ड्राफ्ट	**भू.पू.सै.**	भूतपूर्व सैनिक
एच.एच.	बधिर विकलांग	**आई.पी.ओ.**	भारतीय पोस्टल आर्डर
एन.सी.वी.टी.	नेशनल काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग	**एन.ओ.सी.**	नो आब्जेक्शन सर्टीफिकेट
ओ.एम.आर.	ऑप्टिकल मार्क रीडर उत्तर पुस्तिका	**अ.पि.व.**	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओ.एच.	आर्थोपेडिकली हैण्डीकैप्ड	**पी.एच.**	फिजिकली हैण्डीकैप्ड
पी.डब्ल्यू.डी	पर्सन विद डिसएबिलिटी	**रे.भ.बो.**	रेल भर्ती बोर्ड
आर.एस.आर.पी.	रिवाइज स्केल रिवाइज पे	**एस.सी.वी.टी.**	स्टेट काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग
अ.जा.	अनुसूचित जाति	**अ.ज.जा.**	अनुसूचित जन जाति
अना.	अनारक्षित	**वी.एच.**	विजुएली हैण्डीकैप्ड
इला.	इलाहाबाद	**ए.एस.एम.**	सहायक स्टेशन मास्टर
उ.रे.	उत्तर रेलवे	**एक्ट एप. :**	एक्ट प्रशिक्षु
डी.रे.का.	डीजल रेल इंजन कारखाना	**उ.म.रे**	उत्तर मध्य रेलवे
ए.एल.पी.	सहायक लोको पायलट		

सामान्य निर्देश :

1.01 अभ्यर्थियों को किसी भी पद के लिए आवेदन करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रता मानक को पूरा करते हैं। आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि को उसके पास मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय/संस्था से वांछित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। वे अभ्यर्थी जो परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आवेदन न करें। यदि अभ्यर्थी वांछित मानक को पूरा नहीं करते तो रेलवे भर्ती बोर्ड भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उनके आवेदन को निरस्त कर सकता है। यदि नियुक्ति हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी सरसरी तौर पर सेवा से बर्खास्त किये जा सकते हैं।

1.02 वे अभ्यर्थी जो सभी रेल भर्ती बोर्ड से आजीवन या कुछ समय के लिए विवर्जित किये गये हैं और उनका समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो उन्हें इस नियोजन सूचना के अन्तर्गत आवेदन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका अभ्यर्थन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में ज्ञात होने पर निरस्त कर दिया जायेगा।

1.03 अभ्यर्थी को आवेदन स्वयं की लिखावट में भरना चाहिए, हस्ताक्षर एवं बायें हाथ के अंगूठे का निशान विहित स्थान पर लगाना चाहिए। आवेदन हिन्दी या अंग्रेजी में भरना चाहिए। आवेदन का प्रारूप उच्च गुणवत्ता वाले ए-4 साइज (80 जी.एस.एम.) के बाण्ड पेपर पर होना चाहिए जो केवल एक ही ओर प्रयोग होगा। समाचार पत्र की कटिंग आवेदन पत्र के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाजार में उपलब्ध छपे हुए आवेदन पत्र खरीदते समय यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इसका प्रारूप विज्ञापित नियोजन सूचना के समान है। अभ्यर्थी इम्प्लायमेन्ट न्यूज/रोजगार समाचार में छपे प्रारूप की छाया प्रति करके उसमें अपना विवरण भर सकते हैं, इसके अतिरिक्त वे रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत नियोजन सूचना रेलवे भर्ती बोर्ड के कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी चस्पा कर दी गई है। अभ्यर्थियों को अपने आवेदन अन्तिम तिथि से काफी पहले भेज देना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में डाक में विलम्ब/गलत स्थान पर भेजी गई डाक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1.04 अभ्यर्थियों को आवेदन पर एवं सूचनापत्रक में दिये गये निर्धारित स्थान पर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में हस्ताक्षर करना चाहिए। आवेदन पत्र, सूचना पत्रक, उत्तर पत्रक, प्रश्न पुस्तिका एवं अन्य स्थानों पर सभी हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए। हस्ताक्षर रनिंग हैण्ड (घसीट) में होना चाहिए और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों अथवा अलग-अलग अक्षरों में नहीं होना चाहिए। आवेदन करते समय, लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के समय विभिन्न स्टाइल अथवा भाषा में हस्ताक्षर करने से उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।

1.05 एक से अधिक पदों हेतु अलग-अलग आवेदन भेजना चाहिये एवं अलग-अलग आई.पी.ओ./डी.डी. परीक्षा शुल्क के रूप में भेजना चाहिये। एक लिफाफे में एक पद हेतु केवल एक ही आवेदन भेजना चाहिये। अभ्यर्थियों को ज्ञात हो कि रेलवे भर्ती बोर्ड लिखित परीक्षा/आन लाइन परीक्षा एक से अधिक कोटियों हेतु एक ही अवधि में करा सकती है।

1.06 एक ही कोटि के लिए एक से अधिक भेजे गये आवेदन सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

1.07 अभ्यर्थियों को ज्ञात हो कि उनकी जन्म तिथि मैट्रीकुलेशन/हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष में इंगित सूचनानुसार आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि को ही रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा मान्य होगी।

1.08 अन्तिम तिथि **09.03.2010** से एक वर्ष के अन्दर सेवामुक्त होने वाले सेवारत् रक्षा कर्मचारी भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1.09 भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों की रिक्तियाँ जो उपरोक्त सारणी में दी गई हैं वे अलग नहीं हैं। अपितु रिक्तियों के योग में सम्मिलित हैं।

1.10 इस नियोजन सूचना में दी गयी रिक्तियाँ सामयिक है जो रेलवे प्रशासन की आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है या समाप्त हो सकती है। रेलवे प्रशासन को यह भी अधिकार है कि वह नियोजन की सूचना को अपने स्तर पर निरस्त कर सकता है एवं इसका निर्णय अन्तिम एवं सभी द्वारा मान्य होगा। अधिसूचित रिक्तियों का निरस्तीकरण होने पर अभ्यर्थियो द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं होगा।

1.11 समस्त परीक्षा तिथि एवं परिणाम इम्प्लायमेन्ट न्यूज/रोजगार समाचार एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर भी डाला जायेगा। लिखित परीक्षा/आन लाइन परीक्षा हेतु बुलावा पत्र डाक द्वारा (डाक प्रमाण पत्र के अन्तर्गत) भेजा जायेगा। वे अभ्यर्थी जिनके आवेदन निरस्त हो जायेंगे उन्हें भी कारणों सहित डाक द्वारा सूचित किया जायेगा। पद हेतु योग्य एवं अयोग्य अभ्यर्थियो की सूची रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर लिखित/आन लाइन परीक्षा के एक सप्ताह पूर्व डाल दी जायेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड डाक में विलम्ब, बुलावा पत्र/निरस्तीकरण पत्र की गलत डिलेवरी के लिये उत्तरदायी नहीं होगा। लिखित परीक्षा/आन लाइन परीक्षा या अन्य जांच में असफल होने वाले अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती बोर्ड सूचना नहीं देगा।

1.12 रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित होने मात्र से कोई भी अभ्यर्थी रेलवे में भर्ती होने का हकदार नहीं होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से पात्र अभ्यर्थी का नाम सम्बन्धित जोनल रेलवे/प्रोडक्शन यूनिट के मुख्य कार्मिक अधिकारी को प्रेषित करना मात्र है। जो उसके बाद रिक्तियों की उपलब्धता एवं अभ्यर्थियों के डाक्टरी जाँच में स्वस्थ पाये जाने और सभी पात्रता मानकों को पूरा करने की शर्त पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी करता है।

1.13 चयनित अभ्यर्थी पदों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण हेतु भेजे जायेंगे।

1.14 नियुक्ति के प्रारम्भिक चरण में वेतन ग्रेड के न्यूनतम स्तर का भुगतान उस समय के मान्य भत्तों के साथ किया जायेगा। प्रशिक्षण के दौरान केवल वृत्तिका जो लागू होगी, दी जायेगी। छठे वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन एवं भुगतान देय होगा। अभ्यर्थियों को जहाँ कहीं आवश्यक होगा प्रतिभूति राशि एवं क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र देना होगा।

1.15 जबकि समुदाय पर ध्यान दिये बिना सभी अभ्यर्थियों पर अनारक्षित रिक्तियों के लिए विचार किया जा सकता है तथापि विशिष्ट समुदाय (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के लिए चिन्हित रिक्तियों के लिए केवल उस समुदाय/समूह से सम्बन्धित अभ्यर्थियों पर ही विचार किया जायेगा। आरक्षित समुदाय (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व.) के अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता सिद्ध करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, परिशिष्ट-3 के विहित प्रारूप पर (अ.जा., अ.ज.जा. हेतु) एवं परिशिष्ट-4 के विहित प्रारूप पर (अ.पि.व. अभ्यर्थियो हेतु) संलग्न करना होगा। अ.पि.व. अभ्यर्थियो के जाति प्रमाण-पत्र में स्पष्ट संकेत देना होगा कि उम्मीदवार भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ.ए. नं. 36012/22/93, स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.1993 एवं परवर्ती संशोधित ओ.एम.नं. 36033/2004 स्थापना (आर.ई.एस.) दिनांक 09.03.2004 के शिड्यूल के कालम नं. 3 में इंगित क्रीमीलेयर से सम्बन्धित नहीं है। अ.पि.व. अभ्यर्थियों को विशेष रूप से **परिशिष्ट 5** में विहित प्रारूप पर क्रीमी लेयर से सम्बन्धित न होने का स्व स्पष्टीकरण संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी जो अपने आवेदन पत्र में अ.जा., अ.ज.जा. या अ.पि.व. समुदाय हेतु स्वयं को चिन्हित करेंगे एवं विहित प्रारूप पर जाति प्रमाण पत्र संलग्न न करेंगे वे परीक्षा में सम्मिलित होने योग्य नहीं समझे जायेंगे एवं उनका आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

1.16 अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व. समुदाय के अभ्यर्थी जो वांछित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता रखते हो वे अनारक्षित रिक्तियों हेतु भी आवदेन कर सकते हैं। उन्हें अनारक्षित समुदाय के अभ्यर्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेना होगा। ऐसे अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. समुदाय के अभ्यर्थियों को जो अनारक्षित पदों हेतु आवेदन करेंगे उन्हें आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

1.17 अ.जा., अ.ज.जा. समुदाय के अभ्यर्थियों को जहाँ पर लागू होगा, लिखित परीक्षा/आन लाइन परीक्षा या अभिरुचि परीक्षण/कौशल परीक्षण दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाये जाने पर द्वितीय श्रेणी का मुफ्त रेलवे पास उनके द्वारा वैध जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर जारी किया जायेगा।

1.18 चयनित पुरुष अभ्यर्थियों को जो भर्ती होंगे उन्हें प्रादेशिक सेना की अभियान्त्रिकी इकाई में भी भेजा जा सकता है।

1.19 महिला अभ्यर्थी भी इस इकाई में भेजने की पात्र होंगी उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि कुछ कोटि/पदों की सेवा का स्वरूप कठोर परिश्रम वाला है जिसके लिए उन्हें पालियों में, किसी भी समय में, रास्ते के स्टेशन एवं हेड क्वार्टर से दूर स्थानों पर कार्य हेतु नियुक्त किया जा सकता है, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा।

1.20 विद्यमान नियमानुसार इस नियोजन सूचना के नियम एवं शर्तों में बाद में किया गया कोई भी परिवर्तन मान्य होगा। रे0भ0बो0 इस नियोजन सूचना की नियम व शर्तों में भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार परिवर्तन/संशोधन/विस्तार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

2 आयु सीमा :-

न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की गणना 01.07.2009 से की जायेगी। अधिकतम आयु सीमा में निम्न छूट दी जायेगी जिसके लिये वांछित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

2.01 अ.ज./अ.जा. अभ्यर्थियों हेतु 05 वर्ष की छूट

2.02 अ.पि.व. अभ्यर्थियों हेतु 03 वर्ष की छूट

2.03 भू.पू. सैनिक कर्मचारियों की पूरी सेवा अवधि तथा 3 वर्ष अतिरिक्त बशर्ते कि उन्होंने शपथ ग्रहण करने के पश्चात् 6 माह तक सेवा की हो उनके द्वारा आवेदित किये गये पदों जैसे ट्रैफिक अप्रेन्टिस एवं कामर्शियल अप्रेन्टिस हेतु ऊपरी आयु सीमा सभी छूटों के समायोजन सहित 40 वर्ष होगी।

2.04 1 जनवरी 1980 से 31 दिसम्बर 1989 तक जम्मू कश्मीर राज्य के कश्मीर मण्डल में सामान्यतः निवास करने वाले अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट।

2.05 शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट

2.06 सेवारत् रेलवे समूह ग और समूह घ कर्मचारियों के लिए जिनमें आकस्मिक श्रमिक/एवजी भी शामिल है। उनके लिए अनारक्षित समुदाय हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष, अ.जा., अ.ज.जा. समुदाय के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष एवं अ.पि.व. अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 43 वर्ष होगी बशर्ते कि उन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा अवधि (अविच्छिन्न अथवा विछिन्न) पूरी की हो। रेलवे संगठन के अर्ध प्रशासनिक कार्यालयों जैसे रेलवे कैन्टीन/सहकारी समितियों एवं संस्थाओं में कार्यरत् कर्मचारियों के सम्बन्ध में उनके सेवाकाल के बराबर किन्तु अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2.07 विधवा, तलाकशुदा महिलाएं एवं कानूनन पति से पृथक हुई महिलायें जिन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, के सम्बन्ध में अनारक्षित समुदाय हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, अ.पि.व. समुदाय हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष एवं अ.जा., अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

2.08 एक्ट प्रशिक्षु का प्रशिक्षण प्राप्त किये हुए अभ्यर्थी जो उन पदों के लिए आवेदन करते हैं जिनकी न्यूनतम योग्यता आईटीआई/एक्ट अप्रेन्टिस कोर्स है उन्हें अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 के अन्तर्गत प्राप्त प्रशिक्षण की अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

2.09 अनारक्षित पदों हेतु आवेदन करने वाले अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व, समुदाय के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

2.10 निम्न भिन्न आयु समूहों के अभ्यर्थियों की जन्म तिथि निम्न तिथियों के मध्य होगी (दोनों तिथियों सहित)

क्र. सं.	आयु समूह *	अधिकतम जन्मतिथि			सभी के लिए न्यूनतम जन्मतिथि	टिप्पणी
		अना.	अ.पि.व.	अ.जा./अ.ज.जा.		
1.	18 to 30	2-7-1979	2-7-1976	2-7-1974	1-7-1991	पैरा 2.03 से पैरा 2.08 में सूचीबद्ध कोटियों हेतु आयु में छूट जैसे इंगित है वैसे ही लागू होगी।
2.	18 to 33	2-7-1976	2-7-1973	2-7-1971		
3.	20 to 35	2-7-1974	2-7-1971	2-7-1969	1-7-1989	

*नियोजन सूचना में प्रत्येक पद के समक्ष आयु समूह दर्शाये गये हैं।

3 परीक्षा शुल्क :

3.01 अ.जा./अ.ज.जा./भू.पू.सै./शारीरिक विकलांग अभ्यर्थियों हेतु कोई शुल्क देय नहीं है।

3.02 अनारक्षित/अ.पि.व. हेतु परीक्षा शुल्क प्रत्येक पदों के समक्ष दशायी गयी है।

3.03 परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में - "सदस्य सचिव रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद" के पक्ष में जो कि 6 महीने तक वैध हो, देय होना चाहिए। डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद को देय होना चाहिए, डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर इस विज्ञप्ति के पहले अथवा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए।

3.04 अभ्यर्थियों को पोस्टल आर्डर के मुख्य पृष्ठ में विहित स्थान पर/डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे अपना नाम आवेदित पद का नाम, पद की कोटि, नियोजन सूचना संख्या एवं अपना पता साफ-साफ अक्षरों में लिखना चाहिए।

3.05 डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में प्रेषित परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं होगा।

3.06 परीक्षा शुल्क के रूप में प्रेषित डिमाण्ड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर का विवरण आवेदन पत्र में विहित स्थान पर (सूचना पत्र का आइटम नं.5) देना चाहिए।

3.07 परीक्षा शुल्क के रूप में, जहाँ आवश्यक हो, वांछित राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संलग्न न होने पर आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

4 आवेदन कैसे करें ?

4.01 अभ्यर्थियों को आवेदन परिशिष्ट 1 एवं 2 के अनुसार स्वयं की लिखाई में नीली या काली प्वाइंट बाल पेन से भरना चाहिए (पेन्सिल, फाउन्टेन पेन या जेल पेन से नहीं) तथा उस पर तिथि डालकर हस्ताक्षर करना चाहिए। केवल अन्तर्राष्ट्रीय अंकों अर्थात् 1, 2, 3 इत्यादि का ही प्रयोग करना चाहिए। आवेदन पत्र हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में भरना चाहिए। इस नियोजन सूचना में दिये गये सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र पर अपने सामान्य हस्ताक्षर हिन्दी अथवा अंग्रेजी में करना चाहिए। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किये हुए अथवा अलग-अलग अक्षरों में हस्ताक्षर युक्त आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

4.02 अभ्यर्थी यदि आवेदन पत्र हिन्दी भाषा में भर रहा है तो भी उसे अपना नाम, पता, पिन कोड, जन्मतिथि, पिता का नाम एवं निकटतम रेलवे स्टेशन का विवरण अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरना चाहिए।

4.03 **फोटोग्राफः** एक नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज, सामने से खींची गयी टोपी एवं धूप चश्में के बिना फोटो (जो आवेदन की तिथि से तीन महीने से अधिक पहले की न हो) उसे आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर चिपकाना चाहिए। फोटो की छायाप्रति स्वीकार्य नहीं है। फोटोग्राफ के नीचे बाक्स में दिये गये स्थान पर अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर करना चाहिए एवं अन्य एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आवेदन पत्र में नत्थी करना चाहिए एवं फोटोग्राफ के पीछे अभ्यर्थी को अपना नाम एवं कोटि संख्या लिखनी चाहिए। अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आवेदन पत्र में पुरानी/अस्पष्ट फोटोग्राफ चिपकाने के कारण अथवा आवेदन पत्र में चिपकाई गई फोटो और अभ्यर्थी की वास्तविक शक्ल में कोई महत्वपूर्ण अन्तर होने के कारण रे0भ0बो0 किसी भी चरण में आवेदन अस्वीकृत कर सकता है।

शेष अगले पृष्ठ पर....

4.04 आवेदन पत्र के कालम नं.8 के संदर्भ में अभ्यर्थी को अपने शरीर पर स्पष्ट/दर्शनीय पहचान के चिन्ह जैसे नाक के मस्से (तिल), माथे पर बायीं ओर कटे का निशान या बायीं हथेली के नीचे घाव का निशान इत्यादि का विवरण देना चाहिए। अभ्यर्थी का आवेदन स्पष्ट पहचान चिन्ह के विवरण के अभाव में निरस्त कर दिया जायेगा।

4.05 अभ्यर्थी को चाहिए कि वे सूचना पत्र के आइटम नं. 13 में दिये गये वक्तव्य (घोषणा) को स्वयं की लिखावट में हिन्दी/अंग्रेजी भाषा (बड़े अक्षरों एवं स्थान से बाहर अक्षरों में न लिखे) में निरन्तर वेग लिखावट में नकल करें अन्यथा उनके आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे।

4.06 अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे अपने बायें हाथ के अंगूठे का निशान आवेदन पत्र एवं सूचना पत्र पर विहित स्थान पर लगायें, उनके अंगूठे का निशान स्पष्ट एवं पूर्ण होनी चाहिए एवं अंगूठे की लाइनें स्पष्ट होनी चाहिए।

4.07 अपठनीय, अपूर्ण बिना हस्ताक्षर के, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षरित, विहित प्रारूप में न होने पर अभ्यर्थी के फोटो के बिना, भा0पो0आ0/डिमाण्ड ड्राफ्ट के बिना अथवा नियोजन सूचना जारी होने के पहले और अन्तिम तिथि के बाद जारी हुये भा0पो0आ0/डिमाण्ड ड्राफ्ट वाले आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

4.08 आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद.........कोटि संख्या........... नियोजन सूचना संख्या .... एवं समुदाय........ (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. पी.डब्ल्यू.डी./भू.पू.सै.) स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर पद एवं कोटि साफ-साफ न लिखा होने की दशा में लिफाफे पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा और न ही स्वीकार किया जायेगा।

5 संलग्नक :

प्रत्येक अभ्यर्थी को निम्न संलग्नक, जहाँ लागू हो, दिये गये क्रम में, अपने आवेदन के साथ नत्थी करना चाहिए।

5.01 आवेदन पत्र विहित प्रारूप पर दें (जैसा कि परिशिष्ट 1 में दिया गया है)।

5.02 सूचना पत्र विहित प्रारूप पर दें (जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिया गया है)।

5.03 वैध पोस्टल आर्डर/बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट नियोजन सूचना में इंगित मूल्य का लगायें।

5.04 रंगीन पहचानने योग्य एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर नत्थी करें। (एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर चस्पा करने के अतिरिक्त)

5.05 स्वप्रमाणित मैट्रिकुलेशन/हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र या उसके समकक्ष प्रमाण पत्र जन्मतिथि दर्शाते हुए छायाप्रति।

5.06 आवेदित पदों से सम्बन्धित शैक्षिक या व्यावसायिक योग्यता प्रमाण की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

5.07 अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति (परिशिष्ट 3 एवं 4 में दिये गये प्रारूप के अनुसार) एवं अ.पि.व. अभ्यर्थी क्रीमी लेयर से असम्बन्धित होने पर स्व घोषणा पत्र परिशिष्ट 5 में दिये गये प्रारूप पर लगायें।

5.08 स.स्टे.मा./स.लो.पा./मोटर मैन के पदों हेतु नेत्र विशेषज्ञ का चिकित्सकीय जाँच प्रमाण पत्र (परिशिष्ट 6 में दिये प्रारूप के अनुसार) जो नियोजन सूचना की अन्तिम तिथि से 6 माह पहले से अधिक न हो।

5.09 अपंगता प्रमाण पत्र अपंग अभ्यर्थी दिये गये प्रारूप (परिशिष्ट 7 में दिये गये प्रारूप) पर लगायें।

5.10 दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा घोषणा पत्र एवं परीक्षा में लिखने के लिए लगाये जाने वाले लेखन सहायक का घोषणा पत्र (परिशिष्ट 8 में दिये गये प्रारूप पर) लगायें।

5.11 भूतपूर्व सैनिकों को सेवा निवृत्ति प्रमाण की स्व प्रमाणित छायाप्रति लगानी चाहिए साथ ही साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उनकी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की समकक्षता का प्रमाण पत्र भी लगाना चाहिए।

5.12 यदि अभ्यर्थी रेलवे या किसी सरकारी विभाग/पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में पहले से सेवारत् हैं तो उसे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना चाहिए।

5.13 आयु सीमा में किसी अन्य प्रकार की छूट हेतु अभ्यर्थी को वांछित प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति लगानी चाहिए।

6. अवैध आवेदन पत्र :

अभ्यर्थियों को चाहिए कि भर्ती बोर्ड को आवेदन प्रेषित करने से पहले नियोजन सूचना में दिये गये निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़े अन्यथा उनके आवेदन पत्र निम्न एक या कई कारणों से निरस्त किये जा सकते हैं। यदि अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त हो जाता है तो उसे डाक द्वारा आवेदन निरस्त होने की सूचना कारणों सहित भेजी जायेगी।

6.01 रोजगार सूचना के अन्तिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त हुआ।

6.02 सूचना पत्र पर पैसेज की कापी नहीं की गयी (या) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में कापी की गयी।

6.03 आवेदन बिना हस्ताक्षर के (या) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर किया गया।

6.04 आवेदन पत्र एवं सूचना पत्र पर बायें हाथ के अंगूठे का निशान न लगाना/धुँधला/पुता हुआ होना।

6.05 वांछित प्रमाण पत्रों की कापी संलग्न नहीं है (जन्मतिथि प्रमाण पत्र शैक्षणिक/व्यावसायिक प्रमाण पत्र अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए समुदाय का प्रमाण पत्र, भू0पू0 सैनिकों के लिए सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र,विकलांगों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र आदि)।

6.06 अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र उचित प्रारूप पर नहीं है या क्रीमी लेयर सम्बन्धित स्वयं की उद्घोषणा रहित है। (अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित छूट हेतु)

6.07 स्वप्रमाणित दृष्टि प्रमाण पत्र नहीं लगाया या अपूर्ण (सहायक लोको पायलट/सहायक स्टेशन मास्टर/मोटर मैन पदों हेतु)।

6.08 शुल्क - पोस्टल आर्डर/डीडी संलग्न नहीं है या कम शुल्क का संलग्न है या अमान्य आईपीओ/डीडी जैसे :- रोजगार सूचना के पहले या बाद में जारी की गयी।

6.09 पहचान के निशान का कालम नहीं भरा।

6.10 पद के हेतु आवेदन के समय शैक्षिक योग्यता नहीं है।

6.11 अधिक आयु या कम आयु या जन्म तिथि नहीं भरी या गलत भरी गयी है।

6.12 एक पद हेतु दो या दो से अधिक आवेदन दिये गये।

6.13 बिना रंगीन फोटो का आवेदन या टोपी सहित फोटो, चश्मा पहने हुए फोटो, विकृत आकृति, पहचानने योग्य नहीं या फोटो स्कैन की हुई या छायाप्रति है।

6.14 एक लिफाफे में एक से अधिक आवेदन है।

6.15 अभ्यर्थी का नाम विवर्जन (डिबार) सूची में इंगित है।

6.16 अपूर्ण/अपठनीय आवेदन पत्र।

6.17 निर्धारित प्रारूप पर आवेदन नहीं है।

6.18 कोटि/पद नहीं भरा गया या गलत भरा गया है।

6.19 आवेदन अन्य रेलवे भर्ती बोर्ड को सम्बोधित किया गया है।

6.20 अंग्रेजी/हिन्दी के अतिरिक्त दूसरी भाषा में आवेदन पत्र भरा है।

7 भर्ती प्रक्रिया :

7.01 लिखित/ऑन लाइन परीक्षा के आधार पर पूर्णतया योग्यतानुसार मेरिट क्रम में चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जहाँ लागू हो वहाँ अभिरुचि/कौशल परीक्षण, साक्षात्कार इत्यादि भी आयोजित किया जा सकता है। योग्यता, रिक्तियों की उपलब्धता एवं आरक्षण नियमों के आधार पर छटनी किये गये अभ्यर्थियों को मेरिट क्रम में मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जायेगा।

7.02 लिखित/ऑन लाइन परीक्षा में नकारात्मक अंक पद्धति के अन्तर्गत गलत उत्तर पर प्रत्येक प्रश्न हेतु आवंटित अंकों के 1/3 अंक काट लिये जायेंगे।

7.03 लिखित/ऑन लाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्यतः पदों हेतु दी गयी शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के और बहुविकल्पीय होंगे तथा सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी/सामान्य हिन्दी, सामान्य अंकगणित, विश्लेषणात्मक एवं संख्यातमक कौशल और पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक/तकनीकी योग्यता में सम्मिलित विषयों के प्रश्न पूँछे जायेंगे। प्रश्नपत्र द्विभाषी अर्थात् अंग्रेजी और हिन्दी में होंगे तथा परीक्षा अवधि 1½ से 2 घंट की होगी और लगभग 100 से 150 प्रश्न होंगे।

7.04 रेलवे भर्ती बोर्ड स्वविवेक पर यदि आवश्यक समझता है तो सभी अथवा सीमित संख्या में अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त लिखित परीक्षा (परीक्षाएं) और/अथवा साक्षात्कार/कौशल परीक्षण आयोजित कर सकता है, जैसा भी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा उचित समझा जायेगा।

7.05 लिखित/आन लाइन परीक्षा, अभिरुचि/कौशल परीक्षण एवं साक्षात्कार का दिनांक, समय एवं स्थान रे0भ0बो0 द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उसकी सूचना पात्र अभ्यर्थियों को उचित समय पर दे दी जायेगी। लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षण/साक्षात्कार को स्थगित करने और केन्द्र/परीक्षा स्थल को परिवर्तित करने का अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7.06 प्रत्येक पद के सामने परीक्षा चरण दर्शाये गये हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों के निष्पादन के आधार पर रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थी मुख्य सूची में दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाये जायेंगे। इसके अलावा 30% अतिरिक्त अभ्यर्थी भी स्टैण्डबाई अभ्यर्थियों के रूप में बुलाये जाते हैं और पैनल बनाने के लिए उन पर केवल तभी विचार किया जाता है जब मुख्य सूची से पैनल पूरा करने में कोई कमी रह जाती है। दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा जिसके लिए कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा, अभ्यर्थियों द्वारा सत्यापन दिनांक को मूल दस्तावेज प्रस्तुत न करने की दशा में नियुक्ति से वंचित कर दिये जायेंगे।

7.07 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा कराये जाने वाले आवश्यक डाक्टरी स्वस्थता परीक्षण को अभ्यर्थी द्वारा उत्तीर्ण करने एवं शैक्षणिक समुदाय एवं अभ्यर्थी के चरित्र सम्बन्धी दस्तावेजों के अन्तिम सत्यापन में उचित पाये जाने की शर्त पर होगी।

8 स्वास्थ्य परीक्षण (चिकित्सीय उपयुक्तता परीक्षण) :

नियुक्ति के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों को रेल प्रशासन द्वारा आयोजित आवश्यक चिकित्सीय स्वस्थता परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभ्यर्थी अपने पद से सम्बन्धित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए चिकित्सीय रूप से स्वस्थ है। दृष्टि का दोषमुक्त होना रेलवे कर्मचारियों के चिकित्सीय स्वास्थ्य की आवश्यक कसौटी है। विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों के सामने चिकित्सकीय अपेक्षाएं नीचे दर्शाई गई हैं :-

(क) ए-1 : शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ। **दृष्टि मानक - दूर दृष्टि :** 6/6, 6/6 बिना चश्में के। **निकट की दृष्टि :** एस.एन.: 0.6, 0.6 बिना चश्में के (धुंध सम्बन्धी टेस्ट के साथ)। **वर्ण दृष्टि :** बायनोकुलर दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र एवं रात्रि दृष्टि अवश्य मौजूद होना चाहिए।

(ख) ए-2 : शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ। **दृष्टि मानक - दूर दृष्टि :** 6/9, 6/9 बिना चश्में के। **निकट की दृष्टि :** एस.एन.: 0.6, 0.6 बिना चश्में के। **वर्ण दृष्टि :** बायनोकुलर दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र एवं रात्रि दृष्टि अवश्य मौजूद होना चाहिए।

(ग) ए-3 : शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ/**दृष्टि मानक - दूर दृष्टि :** 6/9, 6/9 चश्में या बिना चश्में के साथ (लेंस का पावर 2डी से ज्यादा न हो) **निकट की दृष्टि :** एस.एन. : 0.6, 0.6 चश्में या बिना चश्में के। **वर्ण दृष्टि :** बायनोकुलर दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र एवं रात्रि दृष्टि अवश्य मौजूद होना चाहिए।

(घ) बी-1: शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ/**दृष्टि मानक - दूर दृष्टि :** 6/9, 6/12 चश्में या बिना चश्में के साथ (पावर-4डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए)। **निकट की दृष्टि :** एस.एन.: 0.6, 0.6 चश्में या बिना चश्में के साथ- पढ़ते समय अथवा बारीक कार्य करते समय। **वर्ण दृष्टि :** बायनोकुलर दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र एवं रात्रि दृष्टि अवश्य मौजूद होना चाहिए।

(ङ) बी-2 : शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ/**दृष्टि मानक - दूर दृष्टि :** 6/9, 6/12 चश्में या बिना चश्में के साथ (पावर-4डी से ज्यादा नहीं होना चाहिए)। **निकट की दृष्टि :** एस.एन.: 0.6, 0.6 चश्में या बिना चश्में के साथ- पढ़ते समय अथवा बारीक कार्य करते समय। **वर्ण दृष्टि :** बायनोकुलर दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र एवं रात्रि दृष्टि अवश्य मौजूद होना चाहिए।

(च) सी-1: शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ। **दृष्टि मानक- दूर की दृष्टि :** 6/12, 6/18 चश्में या बिना चश्में के साथ। **निकट की दृष्टि :** एस.एन. : 0.6, 0.6 चश्में या बिना चश्में के साथ- पढ़ते समय अथवा बारीक कार्य करते समय।

(छ) सी-2: शारीरिक रूप से सर्वथा स्वस्थ। **दृष्टि मानक - दूर की दृष्टि :** 6/12, निल चश्में या बिना चश्में के साथ। **निकट की दृष्टि :** : 0.6 संयुक्त, चश्में या बिना चश्में के साथ- पढ़ते समय अथवा बारीक कार्य करते समय।

नोट : (क) उपर्युक्त दृष्टि मानक (मानदण्ड) सांकेतिक हैं तथा सर्वांगपूर्ण नहीं है और सामान्य रूप से अभ्यर्थियों पर लागू होते हैं। (ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग मानक लागू होते हैं।

(ग) सहायक लोको पायलट, सहायक स्टेशन मास्टर एवं मोटर मैन के पद हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पंजीकृत नेत्र विशेषज्ञ से विहित प्रारूप पर (परिशिष्ट 6) चिकित्सीय प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए।

यह सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थी जो इन पदों की परीक्षा/परीक्षाओं में सफल होते हैं लेकिन चिकित्सकीय उपयुक्तता परीक्षण/परीक्षणों में असफल होते हैं तो उन्हें किसी भी दशा में कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जायेगी।

भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार :-

9.00 इस नियोजन सूचना में कुछ कोटियों हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके समुदाय के निरपेक्ष रिक्तियां आरक्षित हैं जिसे समुदाय के समक्ष दर्शाया गया है। भूतपूर्व सैनिक आरक्षित रिक्तियों के अतिरिक्त अन्य रिक्तियों के लिए भी जो उनके लिए चिन्हित नहीं है आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें अनुच्छेद 2.03 एवं 3.01 में उल्लिखित क्रमशः आयु सीमा एवं परीक्षा शुल्क में छूट दी जायेगी।

9.01 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौ सेना, वायु सेना में (चाहे काम्बेटेन्ट या नॉन काम्बेटेन्ट के रूप में) किसी भी रैंक में सेवा की है, परन्तु इसमें वह व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जिन्होंने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरी फोर्स, लोक सहायक सेना तथा अर्ध सैनिक दलों में सेवा की है, और

9.02 जो ऐसी सेवा से अपनी पेंशन प्राप्त करने के बाद सेवा निवृत्त हो चुके हैं या

9.03 जो मिलिटरी सेवा के लिए लागू स्वास्थ्य मानकों के आधार पर अथवा अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में ऐसी सेवा से मुक्त किया जा चुका है और उसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन प्रदान की जा चुकी है, या

9.04 जिन्हें सेवाकर्मियों की संख्या में कमी किये जाने के फलस्वरूप ऐसी सेवाओं से अपने अनुरोध से अन्यथा मुक्त कर दिया गया है या

9.05 स्वयं के अनुरोध पर अथवा दुर्व्यवहार या अप्रवीणता के कारण बर्खास्तगी या डिस्चार्ज से अन्यथा जिन्हें सेवा शर्तों की अवधि पूर्ण करने पर ऐसी सेवा से सेवामुक्त किया जा चुका है और उन्हें उपदान प्रदान किया गया है तथा इनमें प्रादेशिक सेना की निम्न कोटियों के कार्मिक सम्मिलित हैं :-

(अ) लगातार सम्मिलित सेवा के लिए पेंशनधारी।

(ब) मिलिटरी सेवा के मानकों के आधार पर अशक्तता पेंशन-भोगी और

(स) वीरता पुरस्कार विजेता।

9.06 मैट्रिकुलेट अथवा समकक्ष योग्यता वाले भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने सशस्त्र बलों में 15 वर्ष की सक्रिय सेवा पूरी कर ली है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के ऐसे पदों, जिनके लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विश्वविद्यालय की डिग्री है, हेतु आवेदन करने के लिए मैट्रिकुलेशन के साथ सशस्त्र सेनाओं में 15 वर्ष की सक्रिया सेवा पूरी करने वाले भूतपूर्व सैनिक पात्र समझे जायेंगे बशर्ते कि मिलिटरी प्राधिकारी द्वारा जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।

व्याख्या :

संघ के सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों को, जो सेवानिवृत्ति के उपरान्त भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आ जायेंगे, निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करने के एक साल पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध रियायतों का लाभ उठा सकते हैं किन्तु उन्हें संघ के सशस्त्र बलों में निर्धारित सेवा की अवधि को पूर्ण करने से पहले सेवा मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। भूतपूर्व सैनिकों

शेष अगले पृष्ठ पर...

को, जो केन्द्र सरकार के अधीन समूह ग/घ में पहले ही रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, केन्द्र सरकार के अधीन समूह ग/घ में उच्च ग्रेड अथवा कैडर में अन्य रोजगार प्राप्त करने हेतु भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। तथापि, ऐसे अभ्यर्थी केन्द्र सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

10. अपंग/विकलांग अभ्यर्थी

10.01 विकलांगों हेतु पदों की उपयुक्तता का उल्लेख प्रत्येक पद के समक्ष किया गया है। कुछ पदों के सम्बन्ध में निश्चित रिक्तियां विकलांग अभ्यर्थियों हेतु सुरक्षित हैं, इसके अतिरिक्त वे सामान्य अभ्यर्थियों के समान अपने सम्बन्धित समुदाय जैसेः-अना./अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. में भी आवेदन कर सकते हैं। वे उन पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त माना गया हो भले ही उनके लिए कोई अलग से रिक्तियां निश्चित न की गई हों।

10.02 **छूट :** (1) अपंग/विकलांग अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जायेगा भले ही वह पर अपंग/किलगां अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त पद के रूप में उपस्थित या चिन्हित किया गया हो। (2) उपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट - यह छूट प्रदान की जायेगी चाहे पद आरक्षित हो या नहीं बशर्ते पद को विकलांग अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त पद के रूप में चिन्हित किया गया हो।

10.03 **अपंगता की परिभाषा :** भर्ती के उद्देश्य के अन्तर्गत विकलांगता की कोटियों की परिभाषा निम्नवत् हैः-

(क) अन्धापन :- अन्धापन वह दशा है जहां पर मनुष्य किसी निम्नोक्त परिस्थिति का शिकार होता है। (1) पूर्ण दृष्टिहीनता या (2) अपेक्षाकृत बेहतर क्षमता वाले आँख की लेंस सहित दृष्टि क्षमता 6/60 या 20/200 (स्नेलेन) से अधिक नहीं होनी चाहिए (3) दृष्टिक्षेत्र से स्थिरता 20 अंश का कोण बनाती हुई या और खराब **(ख) कम दृष्टि :-** कम दृष्टि वाले व्यक्तियों का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जिनकी चिकित्सा या मानक अपवर्तन सुधार के बाद भी दृष्टि प्रक्रिया क्षीण हो गई है। **(ग) श्रवण क्षीणता :-** श्रवणक्षीणता का अर्थ है कि मनुष्य बातचीत सुनने की क्षमता में 60 डिसाइबल या अधिक की क्षति होना। **(घ) गति अपंगता :-** गति शीलता सम्बन्धी अपंगता का तात्पर्य है हड्डियों की विकलांगता जोड़ या इन्द्रियों की विकलांगता जो शरीर के भागों, हाथ पैर को हिलाने में अवरोध उत्पन्न करती हैं। जो एक प्रकार का पक्षाघात होता है। **(ड.) सेरेब्रल पक्षाघात :-** सेरेब्रल पक्षाघात का अर्थ है एक व्यक्ति की प्रगतिशीलता का ह्रास होना जो असंतुलित वाहन चलाने के फलस्वरूप आयी दिमागी चोट या बचपन की दिमागी चोट के कारण घटित होती है। **(च)** सभी अस्थि अपंग अभ्यर्थी गति अपंगता या पक्षाघात कोटि के अन्तर्गत माने जायेंगे।

10.04 **आरक्षण हेतु अपंगता की श्रेणी/प्रतिशत :-** केवल ऐसे अभ्यर्थी में आरक्षण के पात्र होंगे जो विकलांगता में 40 प्रतिशत से कम न हों। अभ्यर्थी जो आरक्षण का लाभ लेना चाहता है उसे (परिशिष्ट 07 के अनुसार) उपयुक्त अधिकारी द्वारा निर्गत अपंगता प्रमाण पत्र लगाना होगा।

10.05 **अपंगता प्रमाण जारी करने वाले उपयुक्त अधिकारी :-** केन्द्र या राज्य सरकार के आधीन मेडिकल बोर्ड के उपयुक्त अधिकारियों द्वारा जिनके तीन सदस्य जिनमें से कम से कम एक गतिक्षीणता, पक्षाघात, श्रवण, ह्रास, अपंगतानुसार विशेषज्ञ हो।

10.06 **दृष्टि अपंगता वाले अभ्यर्थी :-** वे अभ्यर्थी जिनकी लिखने की क्षमता पक्षाघात के कारण क्षीण हो चुकी है वे स्वयं के लिए लिखाई हेतु सहायक का प्रयोग कर सकते हैं। लिखाई सहायक हेतु अभ्यर्थी को पहले से रेल भर्ती बोर्ड को सूचित करना होगा। परिशिष्ट-8 के अनुसार लिखाई सहायक का उपयोग निम्न दशा में होगा। (क) अभ्यर्थी को अपना लिखाई सहायक स्वयं के खर्चे पर परीक्षा के दौरान लाना होगा। लिखाई सहायक को अपंग अभ्यर्थी के साथ अलग से प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा। प्रवेश पत्र में लिखाई सहायक का विवरण, फोटो हस्ताक्षर सहित लगायी जायेगी। (ख) लिखाई सहायक की शैक्षिक योग्यता आवेदित पद जिसके लिए भर्ती की जा रही है, से एक स्तर नीचे की होनी चाहिए। लिखाई सहायक की योग्यता का विषय अभ्यर्थी की योग्यता से भिन्न होना चाहिए। लिखाई सहायक ने उक्त (ख) में वर्णित शैक्षिक योग्यता में 60 प्रतिशत से अधिक अंक न अर्जित किये हों। (घ) अभ्यर्थी एवं लिखाई सहायक को उचित शपथ पत्र (परिशिष्ट-8) देना होगा कि लिखाई सहायक सभी सक्षमता मानक को उपरोक्त फार्म अनुसार पूरा करता है। यदि बाद में ज्ञात होता है कि लिखाई सहायक सक्षमता मानक को पूरा नहीं किया या कुछ छिपाया है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन, परिणाम निरस्त कर दिया जायेगा। लिखाई सहायक की अभद्रता का उत्तरदायी, उसे लाने वाला अभ्यर्थी होगा। दृष्टिहीन अभ्यर्थी एवं पक्षाघात के कारण जिन अभ्यर्थी की लिखाई क्षमता क्षीण हो गयी है। उन्हें परिशिष्ट-8 के अनुसार शपथ पत्र अपने आवेदन के साथ लगाना होगा।

10.07 सभी एक नेत्र वाले एवं दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40 से कम है उन्हें विकलांगता कोटि में सम्मिलित नहीं किया जायेगा एवं उन्हें लिखाई सहायक लाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

10.08 सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा और केवल वही अभ्यर्थी जो रेलवे मेडिकल मैनुअल के मानक अनुरूप सफल होंगे वही नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। चयन मात्र ही रेलवे में नियुक्ति का संकेत नहीं है।

11. सेवारत कर्मचारी :-

जो उम्मीदवार किसी सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम तथा रेलवे में कार्यरत है उन्हें उचित माध्यम से आवेदन करना चाहिए अथवा अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर, देरी से बचने के लिए सीधे रेल भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद को आवेदन पत्र भेजना चाहिए। सम्बन्धित कार्यालय द्वारा आवेदन प्रेषित करने में हुई देरी के कारण इस कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को बढ़ाया नहीं जायेगा। आवेदन की अग्रिम प्रति या अनापत्ति प्रमाण के बिना भेजे गये आवेदन पर भी विचार नहीं किया जायेगा। अन्तिम तिथि/समय के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12. ऑन लाइन परीक्षा :-

12.00 रेल भर्ती बोर्ड नियोजन सूचना में इंगित सभी या किसी एक कोटि की कम्प्यूटरीकृत ऑन लाइन परीक्षा करा सकता है, इस सम्बन्ध में ऑन लाइन परीक्षा के लिए विस्तृत निर्देश बुलावा पत्र के साथ अभ्यर्थी को भेजा जायेगा।

13. विविध :

13.01 यह समस्त नियोजन सूचना समस्त परिशिष्ट सहित रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी, अभ्यर्थी आवेदन पत्र एवं सूचना पत्र सभी परिशिष्ट सहित प्रिन्ट कर आवेदन के रूप में रेलवे भर्ती बोर्ड को प्रेषित कर सकते हैं।

13.02 सारे संलग्नक हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिए। जहां पर प्रमाण पत्र हिन्दी/अंग्रेजी में नहीं है, स्व प्रमाणित अनुवाद (हिन्दी/अंग्रेजी में) संलग्न करना होगा। वांछित संलग्नक के अभाव में आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। अलग से भेजा गया उपर्युक्त कोई भी संलग्नक स्वीकार नहीं होगा।

13.03 रेलवे भर्ती बोर्ड लिखित/ आनॅ लाइन परीक्षा देश में कहीं भी करा सकता है, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्र अन्तिम एवं मान्य होंगे।

13.04 रेलवे भर्ती बोर्ड को अधिकार है कि वह अतिरिक्त लिखित/ऑन लाइन परीक्षा/टाइपिंग दक्षता परीक्षा/साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन किसी भी चरण में करा सकता है एवं इस नियोजन सूचना में इंगित किसी भी कोटि की आंशिक अथवा सम्पूर्ण भर्ती प्रक्रिया किसी भी चरण में बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है।

13.05 पात्रता, आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना, मुफ्त रेल पास का जारी करना, झूठी सूचनाओं पर दण्ड देना, चयन की विधि, लिखित/ऑन परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन दक्षता/अभिरुचि परीक्षा, परीक्षा केन्द्र का आवंटन, चयन, चयनित अभ्यर्थियों को पद का आवंटन इत्यादि सभी मामलों में रेल भर्ती बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस सम्बन्ध में किसी पूछताछ या पत्र व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

13.06 यदि आवश्यक हुआ तो, अन्तिम रूप से चुने गये अभ्यर्थियों को भारतीय रेलवे में कहीं भी नियुक्त किया जा सकता है।

13.07 रेलवे भर्ती बोर्ड अनजाने में हुई किसी त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

13.08 इस नियोजन सूचना के सम्बन्ध में कोई भी न्यायिक मामला केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण इलाहाबाद के न्यायिक कार्यक्षेत्र के अधीन होगा।

14 छद्मरूपण (बनावटी)/तथ्यों को छिपाना :-

14.01 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में छद्मरूपण का प्रयास न करें और न इस सम्बन्ध में किसी छद्मरूपधारी व्यक्ति की सहायता न लें अन्यथा अभ्यर्थी को सभी रेलभर्ती बोर्डों की परीक्षाओं में बैठने से आजीवन विवर्जित कर दिया जायेगा और साथ ही रेलवे में किसी नियुक्ति से भी विवर्जित कर दिया जायेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

14.02 किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपाने अथवा अभ्यर्थी द्वारा पात्रता प्राप्त करने के लिए और/अथवा परीक्षा में उपस्थित होने के लिए मुफ्त यात्रा का लाभ प्राप्त करने हेतु जाली प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यर्थी की उम्मीदवारी, उस भर्ती के लिए जिसके लिए उसने आवेदन किया है, रद्द हो जायेगी। इसके अलावा अभ्यर्थी को देश के सभी रेल भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सभी परीक्षाओं से भी 2 वर्ष के लिए विवर्जित कर दिया जायेगा तथा आवश्यक होने पर न्यायिक कार्यवाही की जा सकती है।

14.03 अभ्यथी सभी रेलवे भर्ती बोर्डों की परीक्षाओं में सामयिक/आजीवन रूप से विवर्जित कर दिये जायेंगे यदि वे (1) एक ही पद एवं कोटि हेतु अनेक आवेदन प्रेषित करेंगे। (2) एक ही पद एवं कोटि हेतु भिन्न-भिन्न समुदाय के अन्तर्गत अनेक आवेदन प्रेषित करेंगे। (3) एक ही पद एवं कोटि हेतु भिन्न-भिन्न फोटो (चेहरे) सहित अनेक आवेदन प्रेषित करेंगे एवं (4) एक ही पद एवं कोटि हेतु भिन्न-भिन्न दस्तावेजों सहित अनेक आवेदन प्रेषित करेंगे।

14.04 कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाने पर अथवा परीक्षा में अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठने के लिए भेजने पर उसे सभी रेल भर्ती बोर्डों की सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन विवर्जित कर दिया जायेगा। उसे रेलवे में कोई नियुक्ति प्राप्त करने से भी विवर्जित कर दिया जायेगा। प्राथमिकी दर्ज करा के ऐसे अभ्यर्थियों पर मुकदमा चलाया जायेगा।

15 चेतावनी :-

आपको किसी प्रकार का फायदा दिलाने का झूठा आश्वासन देने वाले दलालों/धोखेबाजों से सावधान रहें। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यह असंभव है। भर्ती पूर्णतया योग्यता के आधार पर की जायेगी। यदि आप दलालों/धोखेबाजों अथवा उनके सहयोगियों के आश्वासन में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपनी अमूल्य उम्मीदवारी गँवानी पड़ेगी। जो अभ्यर्थी रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में छद्मरूपण करेगा उसे सभी रेल भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं एवं नियुक्तियों से आजीवन विवर्जित कर दिया जायेगा और आगे उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

16. किसी प्रकार का विवाद होने पर अंग्रेजी (अनुवाद) वर्जन मान्य होगा।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद

''ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ''

परिशिष्ट-3

जाति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों हेतुः

अभ्यर्थी द्वारा स्वप्रमाणित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अपने दावे के सापेक्ष में निम्न प्रारूप पर जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा जारी नीचे इंगित जिलों हेतु जहां अभ्यर्थी के माता-पिता अस्थायी रूप से निवास करते हों, ऐसे अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम घोषित किये गये हैं। यदि माता-पिता दोनों जीवित नहीं हैं तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी जहां निवास करता है उस जिले के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को छोड़कर फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का सम्पूर्ण भाग है, जहां आवश्यक हो, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र की केवल स्व प्रमाणित छायाप्रति है ही मान्य होगी अन्य प्रमाणित प्रतियाँ सत्यप्रति नहीं मान्य होगी।

जाति प्रमाण पत्र हेतु फार्म :

(अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रारूप)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु................................ पुत्र/पुत्री.......................
निवासी ग्राम/शहर .... जिला/खण्ड.................................
प्रदेश/केन्द्र शासित प्रदेश ....जाति/जनजाति................. से सम्बन्धित है । जो कि निम्नानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति* की हैसियत से मान्यता प्राप्त है :

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950* संविधान (अनुसूचित जन जाति) आदेश, 1950*.
संविधान (अनुसूचित जाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951* संविधान (अनुसूचित जन जाति) (केन्द्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951* (जैसा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की (संशोधित) सूची में किया गया है. आदेश, 1956, मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमालय प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 एवं अनुसूचित जाति आदेश संशोधन) अधिनियम, 1976.
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.
संविधान (अण्डमान व नीकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959. (जैसा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की (संशोधित) अधिनियम, 1976 में है।
संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962. संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनु. जनजाति आदेश, 1962.
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964.
संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967.
संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश, 1968.
संविधान (गोवा, दमन एवं द्वीप) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1968.
संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1970.
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978.
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978.

श्री/श्रीमती/कुमारी*..................................एवं अथवा इनका परिवार सामान्यतः ग्राम/शहर .... जिला/प्रदेश के सम्भाग/केन्द्र शासित प्रदेश ....के निवासी है । स्थान........... प्रदेश/केन्द्र शासित प्रदेश

हस्ताक्षर ....
**पद का नाम..............................
(कार्यालय की मुहर सहित) प्रदेश/केन्द्र शासित प्रदेश**

स्थान ....
दिनांक ....

(अ) कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हे काट दें ।
(ब) कृपया राष्ट्रपति द्वारा जारी विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

नोटः- पद ''सामान्यतः निवासी है/है'' से तात्पर्य उसी अर्थ से होगा जो कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1950 की धारा 20 में दिया गया है ।

सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु नियोजित प्राधिकारियों की सूचीः-

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/ उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी स्टाइपेन्डरी मजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे के न हों)।
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से नीचे के न हों ।
4. उस क्षेत्र का उप मण्डलीय अधिकारी, जहाँ कि अभ्यर्थी एवं/उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।
5. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी जो तमिलनाडु राज्य में निवास करते हैं वे जाति प्रमाण पत्र केवल रेवेन्यू डिवीजनल आफिसर से प्राप्त करें।

शेष अगले पृष्ठ पर...

परिशिष्ट-4

अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप:-

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पुत्री श्री .... ग्राम/नगर.................................. जिला.................................. राज्य................के .... समुदाय के हैं जो पिछड़ी जाति के रूप में निम्न के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं:-

1. दिनांक 13 सितम्बर 1993, भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-1 अनुच्छेद 1, सं. 186, में प्रकाशित प्रस्ताव सं. 12011/68/93 बी.सी.सी.। दिनांक 10 सितम्बर 1993.
2. दिनांक 20 अक्टूबर 1994 के भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-1 अनुच्छेद 1, सं. 163, में प्रकाशित प्रस्ताव सं. 12011/9/94 बी.सी.सी. दिनांक 19 अक्टूबर, 1994
3. दिनांक 25 मई, 1995 के भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-1 अनुच्छेद 1, सं.88, में प्रकाशित प्रस्ताव सं. 12011/7/95 बी.सी.सी. दिनांक 24 मई, 1995.
4. दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 के भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भाग-1 अनुच्छेद 1, सं.210, में प्रकाशित प्रस्ताव सं. 12011/44/96 बी.सी.सी. दिनांक 6 दिसम्बर 1996.
5. दिनांक 8 जुलाई, 1997 के राजपत्र असाधारण संख्या 129, में प्रकाशित प्रस्ताव सं. 12011/68/93 बी.सी.सी.।
6. दिनांक 1 सितम्बर, 1997 के राजपत्र असाधारण संख्या 164, में प्रकाशित प्रस्ताव सं.12011/12/96 बी.सी.सी.।
7. दिनांक 11 दिसम्बर, 1997 के राजपत्र असाधारण संख्या 236, में प्रकाशित प्रस्ताव सं.12011/99/94 बी.सी.सी.।
8. दिनांक 3 दिसम्बर, 1997 के राजपत्र असाधारण संख्या 239, में प्रकाशित प्रस्ताव सं.12011/13/97 बी.सी.सी.।
9. दिनांक 3 अगस्त, 1997 के राजपत्र असाधारण संख्या 166, में प्रकाशित प्रस्ताव सं.12011/12/96 बी.सी.सी.।
10. दिनांक 6 अगस्त, 1998 के राजपत्र असाधारण संख्या 171, में प्रकाशित प्रस्ताव सं.12011/68/93 बी.सी.सी.।
11. दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 के राजपत्र असाधारण संख्या 241, में प्रकाशित प्रस्ताव सं.12011/68/98 बी.सी.सी.।
12. दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 के राजपत्र असाधारण संख्या 220, में प्रकाशित प्रस्ताव सं.12011/88/98 बी.सी.सी.।
13. दिनांक 4 अप्रैल, 2000 के राजपत्र असाधारण संख्या 71, में प्रकाशित प्रस्ताव सं. 12011/36/99 बी.सी.सी.।

श्री/श्रीमती/कुमारी.................................और/या उसका परिवार सामान्यतया...................राज्य के.........................जिला/मण्डल में रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की कार्यालय ज्ञापन सत्र 36012/22/93 स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित साधन सम्पन्न (क्रीमी लेयर) व्यक्तियों/वर्गों से सम्बन्धित नहीं है।

स्थान : **जिला मजिस्ट्रेट/**

दिनांक : **सहायक उपायुक्त आदि**

जो लागू न हो काट दें (कार्यालय की सील सहित)

विशेष ध्यान दें :- (क) यहां प्रयुक्त ''सामान्य'' शब्द का वही अर्थ है जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 20 में उल्लिखित है। (ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारियों का उल्लेख नीचे किया गया है:
(1) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलक्टर/प्रथम श्रेणी वृत्तिका भोगी मजिस्ट्रेट/उपप्रभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट /अतिरिक्त सहायक आयुक्त (जो प्रथम श्रेणी वृत्तिका भोगी मजिस्ट्रेट के रैंक से कम न हो)। (2) मुख्य प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट। (3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के रैंक से कम न हो। और (4) उस क्षेत्र का उपमण्डल अधिकारी जहां उम्मीदवार और या उसका परिवार रहता हो।

परिशिष्ट-5

अन्य पिछड़ा वर्ग घोषणा पत्र

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रोजगार सूचना सं. 1/2009 रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद के आवेदित पदों के लिये आवेदन पत्र के साथ नमूना फार्म संलग्न करें।

घोषणा पत्र

''मै .... पुत्र/पुत्री श्री...निवासी .... गांव/टाउन/शहर.......................... जिला .... राज्य .... का हूँ। घोषणा करता हूँ कि मै ....(उपजाति लिखें) समुदाय का हूँ। जो भारत सरकार के कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की कार्यालय ज्ञापन सत्र 36012/22/93 स्थापना (एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग में आता हूँ। मै यह भी घोषित करता हूँ कि उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन सत्र दिनांक 08.09.93 की अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित एवं परवर्ती ओ.एम.नं.36033/2/2004 Estt. (Res.) दिनांक 09.03.2004 साधन सम्पन्न (क्रीमी लेयर) व्यक्तियों/वर्गों से सम्बन्धित नहीं हूँ।

स्थान.................................... हस्ताक्षर............................

दिनांक.................................... आवेदक का नाम.....................

परिशिष्ट-6

सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक लोको पायलट एवं मोटरमैन पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नेत्र विशेषज्ञ से प्राप्त किये जाने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप :

मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी*..........................की जांच की है जिन्होंने सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक लोको पायलट एवं मोटरमैन पदों हेतु आवेदन किया है। रेलवे में नियुक्ति हेतु आवश्यक निम्न मानकों के परिप्रेक्ष्य में श्री / श्रीमती/कुमारी* ....की दृष्टि/वर्ण दृष्टि की जांच की गई है।

नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज़ (4 सेमी.x5 सेमी.) फोटो यहाँ पर चिपकायें (रंगीन फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुरानी न हो और जो नेत्र विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित हो)

फोटोग्राफ के नीचे बाक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर करें

पद	श्रेणी	दूर की दृष्टि	निकट की दृष्टि	इशिहारा पर रंगों की परख
सहायक लोको पायलट	ए-1	6/6, 6/6 बिना चश्में के (धुंध सम्बन्धी टेस्ट के साथ) +2D(स्वीकार्य नहीं है)	0.6/0.6 एसएन बिना चश्में के	सामान्य
सहायक स्टेशन मास्टर	ए-2	6/9, 6/9 बिना चश्में के (धुंध सम्बन्धी टेस्ट नहीं)	0.6/0.6 एसएन बिना चश्में के	सामान्य

श्री/श्रीमती/कुमारी*....................................... दृष्टि सम्बन्धी उपर्युक्त मानकों को पूरी तरह से पूरा करते हैं।

नेत्र विशेषज्ञ का नाम :......................... (नेत्र विशेषज्ञ का हस्ताक्षर)

नेत्र विशेषज्ञ की पंजीकरण संख्या :.......................

(नेत्र विशेषज्ञ का मुहर)

स्थान :.......................

दिनांक : ....

परिशिष्ट-7

विकलांग (पी.डब्ल्यू.डी.) अभ्यर्थियों के चिकित्सकीय प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप संस्था/अस्पताल का नाम व पता

प्रमाण पत्र संख्या ______________________ दिनांक : ______________

अपंगता प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी______________________ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री______________________ आयु _____लिंग____ निम्न पहचान चिन्ह (चिन्हों)________ निम्न कोटि की स्थायी अपंगता से पीड़ित है।

(अ) गतिशीलता या पक्षाघात :
(i) बी.एल.-दोनों पैर ग्रसित लेकिन हाथ नहीं।
(ii) बी.ए.- दोनों हाथ ग्रसित हैं।
(क) असमर्थ पहुँच (ख) कमज़ोर पकड़
(iii) ओ.एल.- एक पैर ग्रसित (दायां या बायां)
(क) असमर्थ पहुँच (ख) कमज़ोर पकड़ (ग) अटाक्सिक
(iv) ओ.ए.- एक हाथ ग्रसित
(क) असमर्थ पहुँच (ख) कमज़ोर पकड़ (ग) अटाक्सिक
(v) बी.एच. अकड़ी हुई पीठ एवं कूल्हा (बैठ अथवा झुक नहीं सकता)
(vi) एम.डब्ल्यू. - मांसपेशियों की कमजोरी एवं सीमित शारीरिक सहनशीलता

(ब) अन्धापन या कम दृष्टि
(क) बी-अन्धापन (ख) पी.बी. - आंशिक अन्धापन

(स) बहरापन :
(क) बी-बहरापन (ख) पी.डी. -आंशिक बहरापन
(उस कोटि को काट दें जो लागू न हो)

विकलाँगता को दर्शाता हुआ नवीन रंगीन फोटो यहाँ पर चिपकायें (फोटो चिकित्सा परिषद के चेयरपर्सन द्वारा सत्यापित होना आवश्यक है)

फोटोग्राफ के नीचे बाक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर करें

2. यह स्थिति ''बढ़ने वाली है/बढ़ने वाली नहीं है/सुधार की सम्भावना है/सुधार की सम्भावना नहीं है/..... वर्ष ....महीने की अवधि के बाद इस मामले में पुनर्निर्धारण की, संस्तुति नहीं की जाती है/संस्तुति की जाती है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)
3. *इस अभ्यर्थी में अपंगता का प्रतिशत_______________ है
4. श्री/श्रीमती/कुमारी__________________________________ अपने कार्यों के सम्पादन हेतु निम्न शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करती है।

(i)	एफ-अंगुलियों के सहारे कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(ii)	पीपी- खींचने एवं धकेलने की क्रिया द्वारा कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(iii)	एल- उठाकर कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(iv)	केसी-घुटने टेककर और दबककर कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(v)	बी- झुककर कार्य कर सकता है	हाँ ☐	नहीं ☐
(vi)	एस- बैठकर कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(vii)	एसटी- खड़े होकर कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(viii)	डब्ल्यू- टहलते हुए कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(ix)	एसई- देखते हुए कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(x)	एच- सुनते/बोलते हुए कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐
(xi)	आरडब्ल्यू- लिखते/पढ़ते हुए कार्य कर सकता है।	हाँ ☐	नहीं ☐

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**	**हस्ताक्षर**
चिकित्सक का नाम :	चिकित्सक का नाम :	चिकित्सक का नाम :
पंजीकरण संख्या :	पंजीकरण संख्या :	पंजीकरण संख्या :
सदस्य /चिकित्सा परिषद	सदस्य/चिकित्सा परिषद	सदस्य/चेयर पर्सन, चिकित्सा परिषद

मेडिकल सुप्रीटेन्डेन्ट/सी.एम.ओ. का काउन्टर हस्ताक्षर
अस्पताल का हेड (मुहर के साथ)

नोट : (i) केन्द्र सरकार के आदेश सूचना दिनांक 31.12.1996 नियम 1996, विकलांग व्यक्ति के सम्बन्ध में (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता जो सेशन 73 के सब सेक्शन (1) एवं (2) के परिपालन में अक्षम व्यक्तियों हेतु (समान अवसर अधिकारों की रक्षा एवं पूर्ण सहभागिता नियम 1995 (1996 का 1) के अनुसार, केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन चिकित्सा परिषद के अधिकारी द्वारा अक्षमता प्रमाण-पत्र देय होगा। राज्य सरकार द्वारा गठित चिकित्सा परिषद जिसमें तीन सदस्यों की पीठ हो एवं उसमें कम से कम एक व्यक्ति उस विषय का विशेषज्ञ हो जो गतिशीलता सुनने एवं बोलने की अक्षमता, मस्तिष्क अक्षमता एवं कुष्ट आदि की विषय अनुसार पुष्टि कर सके।
(ii) जिनकी अक्षमता सामयिक है उनके सम्बन्ध में प्रमाण पत्र 1 वर्ष की अवधि हेतु मान्य (वैध) होगा। परन्तु जिनकी अक्षमता असामयिक है उनका प्रमाण-पत्र सर्वदा हेतु मान्य होगा।

परिशिष्ट-8

दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों/ ऐसे अभ्यर्थियों जिनकी लिखने की गति पक्षाघात के कारण प्रभावित है द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा

अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त होने वाले लिखाई सहायक का विवरण :-

1. अभ्यर्थी का नाम ______________________
2. जन्म तिथि ______________________
3. लिखाई सहायक का नाम ______________________
4. लिखाई सहायक के पिता का नाम ______________________
5. लिखाई सहायक का पता :
   (अ) स्थाई पता ______________________
   (ब) पत्र व्यवहार का पता ______________________
6. लिखाई सहायक की शैक्षिक योग्यता ______________________
7. अभ्यर्थी से सम्बन्ध यदि कोई हो ______________________

लिखाई सहायक की नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज़ (4 सेमी.x5 सेमी.) फोटो चस्पा करें (रंगीन फोटो 3 माह से अधिक पुरानी न हो)

फोटोग्राफ के नीचे बाक्स के अन्दर लिखाई सहायक हस्ताक्षर करें

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिय गये विवरण हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं सही हैं। हमने इस परीक्षा में दृष्टि विकलांग अभ्यर्थी के लिखाई सहायक के आचार के सम्बन्ध में रेल भर्ती बोर्ड के निर्देशों को पढ़/पढ़ा लिया है और एतद्द्वारा उनका पालन करने का वचन देते हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि:
(अ) लिखाई सहायक की शैक्षिक योग्यता आवेदित पद के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता से कम है।
*(ब) लिखाई सहायक की शैक्षिक शाखा अभ्यर्थी की शैक्षिक शाखा समान है क्योंकि आवेदन सामान्य पद हेतु है/लिखाई सहायक की शैक्षिक शाखा अभ्यर्थी की शैक्षिक शाखा से भिन्न है क्योंकि आवेदन विशेषज्ञ पद हेतु है।
(स) लिखाई सहायक ने उक्त शैक्षिक योग्यता में 60 प्रतिशत से अधिक अंक अर्जित नहीं किये हैं। *(जहाँ लागू न हो काट दें)

(अभ्यर्थी का हस्ताक्षर) (लिखाई सहायक का हस्ताक्षर)

अभ्यर्थी के बायें हाथ के अंगूठे का निशान लिखाई सहायक के बायें हाथ के अंगूठे का निशान

आवेदन पत्र भारतीय पोस्टल आर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद के पक्ष में निम्न पते पर भेजें.

रेलवे भर्ती बोर्ड	वेबसाइट व टेलीफोन नम्बर	आवेदन पत्र भेजने का पता	डी.डी.और भा.पो.आ. निम्न के पक्ष में
इलाहाबाद	www.rrbald.gov.in 0532- 2222541, 2222543, 2430471, 2430472	सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद महाप्रबन्धक कार्यालय (उत्तर मध्य रेलवे) के विपरीत, सूबेदारगंज रेलवे अस्पताल के बगल में, सूबेदारगंज, इलाहाबाद-211033	''सदस्य सचिव, रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद'', भा.पो.आ., ''प्रधान डाकघर इलाहाबाद'' के पक्ष में देय हो डी.डी. ''इलाहाबाद'' के पक्ष में देय हो

शेष अगले पृष्ठ पर...

परिशिष्ट-1

रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद

अनुक्रमांक (कार्यालय प्रयोग हेतु)

आवेदन पत्र रोजगार, सूचना संख्या 1/2009 हेतु
कृपया आवेदन पत्र स्व हस्तलिपि में भरें
हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए
सभी आवेदन ए-4 साइज़ 80 जीएसएम (बॉण्ड पेपर पर अवश्य होने चाहिए)

कंट्रोल संख्या (कार्यालय प्रयोग हेतु)

नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज 4 cm x 5 cm फोटोग्राफ (पिन या नत्थी न करें) यहाँ चिपकायें। (रंगीन फोटोग्राफ 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होना चाहिए.

फोटोग्राफ के नीचे बाक्स के अन्दर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर करें

1. कोटि संख्या एवं पद (एक कोटि हेतु) कोटि सं० | पद का नाम

जहाँ पर कई कोटियों हेतु एक ही आवेदन प्रेषित किये गये हैं वहाँ विकल्प को क्रम में लिखें।
(आप केवल निम्न इंगित पदों हेतु ही मान्य होंगे।)

विकल्प	कोटि	पद
1		
2		

2. रेलवे की पसन्द (जहाँ कहीं उपयुक्त हो) 1 | 2

3. अभ्यर्थी का नाम

4. समुदाय (चिन्ह ✓) अनारक्षित | अन्य पिछड़ा वर्ग* | अनु.जाति | अनु.जन.जाति

*नियोजन सूचना में इंगित अनेक्स में दिये गये फार्म पर ही अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण प्रस्तुत करें।

5. पिता का नाम

6. जन्म तिथि (दिन/ माह/ वर्ष)

7. आयु ___ वर्ष ___ माह ___ दिन
संदर्भ रोजगार सूचना का पैरा 02

8. शरीर पर पहचान के दर्शनीय चिन्ह

9. शैक्षिक योग्यता (आवेदित पदों से सम्बन्धित शैक्षिक योग्यता ही भरें)

(अ) शैक्षणिक स्तर	शैक्षिक योग्यता	विश्वविद्यालय/बोर्ड	उत्तीर्ण का वर्ष	विषय	अंक प्रतिशत%
एसएससी/मैट्रिक					
हायर सेकण्ड्री/इण्टर					
स्नातक					
परास्नातक अन्य					
(ब) तकनीकी योग्यता	**शैक्षिक योग्यता**	**विश्वविद्यालय/बोर्ड**	**उत्तीर्ण का वर्ष**	**विषय/ट्रेड**	**अंक प्रतिशत%**
आईटीआई/प्रशिक्षु					
डिप्लोमा					
इंजीनियरिंग डिग्री					

10. पता (पत्राचार हेतु)

पिन कोड

11. निकटतम रेलवे स्टेशन (अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों हेतु मुफ्त रेलवे पास जारी होने हेतु)

अभ्यर्थी के बांये हाथ के अँगूठे का निशान

नोट :- (1) अभ्यर्थी को चाहिए कि वे अपने हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार ही अपना नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि भरें.
(2) अभ्यर्थी को चाहिए कि वे सभी स्थानों पर एक ही भाषा में अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें. (हिन्दी अथवा अंग्रेजी में)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

परिशिष्ट-2

रेलवे भर्ती बोर्ड, इलाहाबाद

सूचना शीट (नि.सू. संख्या 1/2009 हेतु)
कृपया फार्म को सुस्पष्ट अक्षरों में भरें।

1. अभ्यर्थी का नाम
2. लिंग चिन्हित करें पुरुष | महिला वैवाहिक स्थिति विवाहित | अविवाहित
3. राष्ट्रीयता
4. स्थायी पता

राज्य ______ पिन कोड ______

5. संलग्न पोस्टल आर्डर/डीडी का पूर्ण विवरण

बैंक/पोस्ट आफिस का नाम	क्रम संख्या एवं तिथि	धनराशि

6. धर्म : हिन्दू ☐ मुस्लिम ☐ क्रिश्चियन ☐ सिख ☐ बौद्ध ☐ जैन ☐ पारसी ☐ अन्य ☐

7. क्या आप हैं ? (i) सरकारी कर्मचारी हाँ/नहीं (ii) भूतपूर्व सैनिक हाँ/नहीं (iii) शारीरिक विकलांग हाँ / नहीं

8. वर्तमान नियोजन (सभी रेलवे/केन्द्रीय/राज्य/पीएसयू कर्मचारियों द्वारा भरा जाना चाहिए -

पदनाम एवं ग्रेड	दिनांक से	दिनांक तक	नियोक्ता का नाम व पता

9. भूतपूर्व सैनिक :

नियोजन की तिथि	सत्यापन की तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि	सेवा अवधि

10. क्या आपको आयु में छूट चाहिए (✓) सम्बन्धित कोष्ठ को चिन्हित करें	अनु. जाति	अनु.जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	कानूनन पृथक/तलाकशुदा महिला/विधवा	जम्मू और कश्मीर के निवासी	भूतपूर्व सैनिक	रेलवे कर्मचारी	एक्ट प्रशिक्षु का कोर्स पूर्ण किया

11. क्या विगत में आप किसी रेलवे डिबार किये गये हैं ? अ) नहीं ब) दो वर्ष हेतु स) आजीवन

12. प्रमाणों की सत्यता हेतु संलग्न दस्तावेज़ (कोष्ठक में ✓इंगित करें) :

☐ समुदाय (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के लिए प्रमाण पत्र) ☐ आई.पी.ओ./डीडी ☐ सेवानिवृत्ति प्रमाण (भूतपूर्व सैनिक हेतु) ☐ शारीरिक अक्षमता प्रमाण (शारीरिक विकलांग हेतु) परिशिष्ट-7 के अनुसार ☐ दृष्टि प्रमाण पत्र (सहा.लोको.पायलट/सहा.स्टे.मास्टर/मोटर मैन पदों हेतु) परिशिष्ट-6 के अनुसार

☐ अ.पि.व. अभ्यर्थियों द्वारा स्व घोषणा पत्र परिशिष्ट-5 के अनुसार ☐ दृष्टि विकलांग अभ्यर्थियों द्वारा स्व घोषणा परिशिष्ट-8 के अनुसार ☐ हाई स्कूल प्रमाण पत्र (जन्म तिथि हेतु) ☐ शैक्षिक/व्यावसायिक शिक्षा प्रमाण पत्र (आवेदित पद की योग्यता हेतु)

13. कृपया दिये गये स्थान में स्वहस्तलिपि में निम्नलिखित घोषणा की नकल करें :

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य एवं पूर्ण हैं तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा उसके बाद मेरा कोई भी विवरण असत्य पाये जाने पर मैं आवेदित पद के लिए अयोग्य हो जाऊँगा/जाऊँगी एवं प्रचलित नियमों के तहत मैं किसी अन्य कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होऊँगा/होऊँगी।

अभ्यर्थी के बांये हाथ के अँगूठे का निशान

स्थान :
दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर